सार्वजनिक वाहन निलामी सूचना संख्याः–...11.../2023
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर, नालंदा।

बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर की रद्दीकृत/निष्प्रायोजित घोषित निम्नांकित 03 (तीन) अदद पुलिस वाहनों की दिनांकः–....19-10-23.... को प्रातः 11 बजे बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर परिसर स्थित MTS भवन के पास उच्चतर बोली (Bid) लगाकर सार्वजनिक निलामी किया जाना है, जिस वाहन की विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	निबंधन संख्या	मॉडल	वाहन का प्रकार	न्यूनतम मूल्य (रूपये में)
01	BR01AN-7850	2009	एम्बेसडर कार	20000/–(बीस हजार)
02	BR01AV-0333	2011	एम्बेसडर कार	25000/–(पचीस हजार)
03	BR01PC-1741	2010	टाटा सुमो विक्टा	35000/–(पैतिस हजार)

निलामी की प्रक्रिया में निम्न शर्ते हैः–

1. उपरोक्त वाहन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में उसी स्थिति में दी जायेगी । इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में उपर्युक्त वाहनों की निरीक्षण कर सकते है।
2. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं वोटर कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. निलाम किये जाने वाले वाहन जो रद्दीकृत/निष्प्रायोजित घोषित है से संबंधित कोई कागजात देय नही होगा।
4. निलामी डाक आरम्भ होने के पूर्व भाग लेने वाले इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को सिक्यूरिटी के रूप में निर्धारित न्यूनतम राशि का 10% बैंक ड्राफ्ट अग्रिम के रूप में बिहार पुलिस अकादमी, रजगीर के नाम से जमा करना होगा।
5. तीनो वाहनों की अधिकतम डाक की राशि पर 18 (अठारह) प्रतिशत GST की राशि का भुगतान सफल बोलीकर्त्ता को अलग से जमा करना आवश्यक होगा।
6. पुलिस विभाग का कोई कर्मी या उनका परिवार इस सार्वजनिक वाहन निलामी में भाग नही लेंगे।
7. निलामी समाप्त होने के बाद असफल डाक बोलने वाले विडरो की जमा ड्राफ्ट उसी समय वापस कर दी जायेगी।
8. निलामी के प्रक्रिया के क्रम में उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को उसी समय गाड़ी के लगाये गये उच्चतर बोली की आधी राशि जमा करना आवश्यक है एवं शेष राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा अन्यथा जमा राशि जप्त करते उनका निलामी रद् कर दी जायेगी।
9. सफल बोलीकर्त्ता गवाह के समक्ष निलाम वाहन को प्राप्त करने से संबंधित प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायेंगे।
10. निलामी के उपरांत वाहन को अपने गंतव्य स्थल तक ले जाने की जिम्मेदारी सफल बोलीकर्त्ता की स्वयं होंगी।

अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित हैं कि सरकारी हित में किसी भी डाक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निलामी की कारवाई संशोधित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

20.9.23

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।